

25/7/18

बौलपुर

अपीलान्टस के अमिमाषु एवं अपीलान्टस में से कोई उपस्थित नहीं। रैस्पॉंस 2, 3, 5 के अमिमाषु उपर) अपीलान्टस के अमिमाषु को कई बार वापस जगवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अमिमाषु अपीलान्ट को रैस्पॉंस सं 4 की तस्वीर देब तीन मौके दिये गये एवं अंतिम मौका भी दिया गया परन्तु अमिमाषु अपीलान्ट ने आडिनांछ तब तस्वीर का स्टेप नहीं लिया है। अतः अवरुद्धरण अडम दजरी नडम पैरवी एवं रैस्पॉंस 4 की तस्वीर नहीं कराने के डिफाएट में विचारित की जाती है। पत्रावली फौजदारी मुकदमा संख्या 100/18/18 से कम की जाकर वाड तकमील दाखिल रकत है। आदेश सुनाया गया।

[हरफूलसिंह यादव]

जिला जज  
बौलपुर